



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

Circular No.10/2022-23

Dated: 22.08.2022

CIRCULAR

Sub: Online Submission of Pending Quarterly Export Returns-reg.

As you are aware, as per the terms and conditions for grant of Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES), issued in accordance with the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 and subsequent Amendments, every Registered Exporter of spices should submit the Export/Purchase/Import Return in the prescribed format to Spices Board on quarterly basis on or before the 10th day of every succeeding quarter.

A 'Nil' return for corresponding quarter, should be submitted even though there is no Export/Purchase/Import.

Accordingly, all the Exporters are required to furnish all the pending Quarterly Export Returns in the prescribed format for the year 2019-20, 2020-21, and 2021-22 on or before 30th September 2022 **through on-line link only.**

In this regard, the Quarterly Export Returns can be submitted online, through the link (<https://indianspices.org.in/ESS/>) which is also available in our website www.indianspices.com>Marketing > Exporters> Export Returns. The login and password is same as that of Export Support System (ie for filing sampling intimation).

Director (Marketing)

All Registered Exporters
Copy to : Regional offices for necessary action and follow up

(Issued from MKTG/STS/GEN/CIRCULAR/10/2022)



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र सं. 10/2022-23

दिनांक : 22-08-2022

परिपत्र

विषय : लंबित त्रैमासिक निर्यात विवरण का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण -बाबत

जैसेकि आप जानते हैं, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का पंजीकरण) विनियम,1989 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किए जानेवाले मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) प्रदान किए जाने की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, मसालों का हर एक पंजीकृत निर्यातकर्ता अगली तिमाही के 10 वें दिन को या उससे पहले तिमाही आधार पर मसाला बोर्ड को निर्धारित प्रपत्र में निर्यात/क्रय/आयात-विवरण प्रस्तुत करेगा ।

यद्यपि निर्यात/क्रय/आयात नहीं है, तो भी संबंधित तिमाही के लिए संबद्ध एक 'शून्य' विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तदनुसार, सभी निर्यातकर्ताओं द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए लंबित सभी तिमाही निर्यात विवरण निर्धारित प्रपत्र में 30 सितंबर, 2022 को या उससे पहले ऑनलाइन लिंक के ज़रिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) का नवीकरण, सभी लंबित तिमाही विवरण प्रस्तुत करने के अधीन होगा। इस संबंध में ऑनलाइन लिंक के माध्यम से (<https://indianspices.org.in/ESS/>) तिमाही निर्यात विवरणियां ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो हमारी वेबसाइट www.indianspices.com>Marketing > Exporters>Export Returns में उपलब्ध है। लॉगिन और पासवर्ड निर्यात समर्थन प्रणाली (यानी नमूना सूचना दाखिल करने के लिए) के समान है।

लक्ष्मी कान्त

निदेशक(विपणन)

सभी पंजीकृत निर्यातक

प्रतिलिपि : प्रादेशिक कार्यालयों को - आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए

(विपणन/एसटीएस/सामान्य/परिपत्र/01/2020 से जारी)